कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी, जिला–मुरैना

प्र0 क्र0/37/16–17/अ–82/भू–अर्जन/उ0म0रे0

//सूचना–पत्र//

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)
उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

कृषकगण/हितबद्व व्यक्ति
ग्राम– खिरका, तहसील–सवलगढ व जिला मुरैना

द्वाराः– तहसीलदार परगना सवलगढ

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना मे भू–अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम पचेर, तहसील व जिला मुरैना मे स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावति छोटी रेल्वे लाईन से बडी रेल्वे लाईन के निर्माण के लिऐ स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू–अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे कमांक के संबध मे अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक का भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका मे भू–अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमे यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक 20.01.18 तक इस न्यायालय मे स्वंय/अभिकर्ता/अभिभाषक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है। भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील सवलगढ जिला मुरैना मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अतिंम तिथि दिनांक 20.01.18 पश्चात भूमि का कब्जा संबधित विभाग को सौप दिया।

क्र. स.	राजस्व वृत/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिचिंत	असिचिंत	कृषि भिन्न